

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों की कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूशोत्तम ने की समीक्षा

स्वच्छता संबंधी शिकायत के लिये नागरिक स्वच्छता एप या 14420 का करे उपयोग प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जायसवाल निलंबित

रतलाम 08 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को उच्चतम् रैंक दिलाने हेतु सर्वेक्षण के प्रत्येक मापदण्डों में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर स्वच्छता हेतु कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूशोत्तम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत फरवरी माह में की गई व की जाने वाली गतिविधी जिओ मॅपिंगए पॉलीथीन प्रतिबंधए उपभोक्ता प्रभारए प्रसंस्करण केन्द्रो का संधारण एवं रख रखावए वैज्ञानितक लैंडफीट आदि की सिलसिलेवार समीक्षा की।

बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि स्वच्छता संबंधी शिकायत नागरिक स्वच्छता एप या 14420 पर दर्ज करायें इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि नागरिक इसका अधिक से अधिक उपयोग करें तथा शिकायत का निराकरण 24 घन्टे में किया जाये। भवन निर्माण के दौरान निकलने वाली ईंटए गिट्टीए मुरम आदि नागरिक नगर निगम के माध्यम से उठवायें इस हेतु फोन नम्बर जारी किया जाये व इसके लिये दर निर्धारित की जाकर प्रस्तुत की जाये।

उन्होंने निर्देशित किया कि एसटीपी प्लॉट के ट्रीटेड पानी का उपयोग भवन निर्माणकर्ता भवन निर्माण में उपयोग करें इसका व्यापक प्रचार.प्रसार किया जाये व इसके लिये दर निर्धारित की जाकर प्रस्तुत की जाये।

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किये जाने हेतु उन्होने अभियान चलाने व दुकानें सील करने की कार्यवाही के निर्देश दिये। बल्क वेस्ट जनरेटर अपने संस्थान में ही गीले कचरे से खाद बनायें इसके लिये होटलए मैरिज गार्डन आदि संचालकों की बैठक 10 फरवरी को दोपहर 1 बजे कलेक्टोरेट में बैठक आयोजित की जाये। उन्होने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी अपनेअपने घरों में होम कम्पोस्टिंग करने के निर्देश दिये।

षहर में सफाई व्यवस्था सही नहीं पाये जानेए दिन में सफाई मित्र कार्य करते नहीं पाये जाने व उनके सफाई का रूट व एरिया निर्धारित नहीं किये जाने पर कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूशोत्तम ने प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीकेए जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया साथ ही उन्होने झोन प्रभारी व दरोगा को भी निर्देशित किया कि जब घर.घर से कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है तो षहर में कचरा एवं गंदगी क्यों दिखाई दे रही है 3 दिवस में अपनीअपनी व्यवस्था में सुधार कर लें अन्यथा झोन प्रभारी एवं दरोगाओं पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरूशोत्तम ने बैठक में निर्देशित किया कि सफाई मित्रों की उपस्थिति प्रत्येक वार्ड में बायोमैट्रिक फेस रिडिंग मशीन से दर्ज किये जाने के निर्देश दिये। वार्डों में सफाई कार्य के पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त पर्यवेक्षकों निर्देशित किया कि वे वार्डों में प्रातः 6 से 8 बजे तक भ्रमण कर सफाई मित्रों की उपस्थिति व दरोगा को सुपरवाइज करें तथा स्वच्छता संबंधी कार्य की रिपोर्ट प्रतिदिन 8 बजे प्रस्तुत करें। उन्होने निगम आयुक्त श्री झारिया को भी निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन 2 घन्टे भ्रमण कर स्वच्छता कार्य का पर्यवेक्षण करें।

उन्होने अधिकारी एवं कर्मचारियों से कहा कि शासकीय कर्मचारी में वह पावर होती है जो किसी ओर में नहीं होती यदि आप सिर्फ यह ठान लें की मुझे अपने षहर के लिये कुछ अच्छा करना हैए यह षहर आपका अपना षहर है आपको यहीं रहना है

इसलिये अपने षहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनायें। उन्होने कहा कि ऐसा कार्य करके दिखाएँ की नागरिक स्वयं कहे कि षहर में स्वच्छता में बदलाव हुआ है।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ षेखए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण जायसवालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए श्री सत्यप्रकाष आचार्यए लेखापाल श्री जगदीष पांचालए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए उपयंत्री सर्वश्री अनवर कुरेष्ीए सुहास पंडितए ब्रजेष कुषवाहए मनीश तिवारी सहित झोन प्रभारीए नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

उद्यानों एवं स्मारकों की देखरेख हेतु बनाये नागरिक समूह

रतलाम 08 फरवरी । स्वच्छ भारत मिशन 2022 के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार शहर में स्थापित महापुरूशों की प्रतिमा स्थल व उद्यानों देख रेख एवं साफ सफाई हेतु पृथक.पृथक नागरिक समूह बनाये जाकर साफ.सफाई रखी जाकर नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता लाई जा रही है।

षहर में स्थापित जवाहर लाल नेहरूए डॉक्टर बीण आरण अम्बेडकरए महाराणा प्रतापए बापू उद्यान एवं उसमे स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा एवं रविन्द्रनाथ टैगोर प्रतिमा की देख.रेख व साफ.सफाई हेतु नागरिक समूहों का गठन किया जाकर डवन् भी हस्ताक्षर करवाये गय व स्मारकों एवं उद्यानों को हमेशा साफ स्वच्छ रखा जा रहा है व समय समय पर जन जागरूकता हेतु यहां कई तरह के सफाई कार्यक्रम करवाये जा रहे हैं ।

रहवासी संघों ने गीले कचरे से खाद बनाने में दिखाई रुचि

स्वच्छ भारत मिशन 2022 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 के दो रहवासी रहवासी संघए रत्नपुरी रहवासी संघ एवं सेवा समिति ; शुभम परिसरद्ध द्वारा घर से निकलने वाले गीले कचरे से वहीं पर निगम द्वारा बनाई गई कम्पोस्ट पिट के माध्यम से

खाद बनाया जा रहा है एवं कचरा संग्रहण वाहन में सिर्फ सूखा कचरा डाला जा रहा है। समय समय पर निगम की टीम वहाँ जाकर रहवासियों से चर्चा कर दैनिक रूप से आने वाली परेशानियों का निराकरण करते हैं एवं कम्पोजिंटिंग से संबंधित जानकारी साझा करते हैं ।

सीवरेज ट्रीटेड पानी का पुर्नउपयोग ,रियूजद्ध प्रारंभ
नागरिक भवन निर्माणए सिंचाई आदि के उपयोग में नगर निगम से न्यूनतम दर पर क्रय कर सकते है ट्रीटेड पानी

रतलाम 8 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट में सीवरेज के ट्रीटेड किये गये पानी का पुर्नउपयोग ,रियूजद्ध का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम द्वारा एसटीपी प्लांट में ट्रीटेड किये गये पानी का उपयोग भवन निर्माणए सिंचाईए उद्यान आदि के उपयोग के लिये नगर निगम से न्यूनतम दर प्राप्त कर सकते है। नगर निगम द्वारा इस पानी का उपयोग छिड़कावए उद्यान सहित अन्य कार्यों में किया जा रहा है।

नगर निगम के विभिन्न करों से 21^{ण57} लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 08 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 08 फरवरी मंगलवार को कुल राशि रूपये 21^{ए57ए645६} का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 08 फरवरी मंगलवार को संपत्तिकर षिविर से 76766ए कार्यालय 1367960ए वसूली दल 270594 कुल 1715320ए जलकर षिविर 41440ए कार्यालय 145835ए वसूली दल 95250 कुल 282525ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 40864 व वसूली दल 40524 कुल 81388ए लायसेंस 4530ए लीजरेंट 63082ए

कम्पाउडिंग 10800 इस तरह कुल राशि रूपये 21ए57ए645६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

प्रताप नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 67८82 लाख व जलकर 15८59 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 08 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822६ व जलकर 54ए850६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600६ व जलकर 1ए04ए640६ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६ व जलकर 1ए21ए090६ए प्रियदर्शनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व

जलकर 27ए540ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281ए व जलकर 40ए240ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000ए व जलकर 31ए760ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077ए व जलकर 72ए440ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534ए व जलकर 37ए465ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732ए व जलकर 36ए660ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ए व जलकर 92ए125ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298ए व जलकर 64ए770ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241ए व जलकर 28ए140ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920ए व जलकर 1ए56ए600ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338ए व जलकर 1ए67ए280ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541ए व जलकर 76ए625ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807ए व जलकर 37ए520ए की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर वार्ड क्रमांक 39 ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा वार्ड क्रमांक 25 ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू वार्ड क्रमांक 24 ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी वार्ड क्रमांक 33 ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25 ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा वार्ड क्रमांक 30 ए 31 ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

8 फरवरी को 179 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 08 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 08 फरवरी मंगलवार को 179 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

08 फरवरी मंगलवार को डम्पर से 22715ए टे^a कटर से 13485ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 21975ए काम्पेक्टर गीला कचरा 12425ए डम्पर नाला मलबा 104150ए मैजिक सूखा 2275 व मैजिक गीला 2245 किलो इस तरह कुल 179270 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

रतलाम 08 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ,कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 08 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 196० हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 08 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 08 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोंए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल

डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 08 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गली सार्वजनिक स्थल नाले नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी कचरे के ढेर नाले नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार जसविन्धे मन्त 08 02 2022 नपा निगम रतलाम